रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 730] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 28, 2017/भाद्र 6, 1939
No. 730] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 28, 2017/BHADRA 6, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1068(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 25 के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोबाइल युक्ति उपस्कर पहचान संख्या में छेड़छाड़ करने को रोकने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **मोबाइल युक्ति उपस्कर पहचान संख्या में छेड़छाड़ का रोका जाना नियम 2017 है।**

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा.—**इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) विनिर्माता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने मोबाइल युक्ति के प्रारम्भिक विक्रय से पूर्व किसी मोबाइल युक्ति की कोई मोबाइल युक्ति उपस्कर पहचान संख्या निर्धारित करने का अधिकार विधिपूर्वक अभिप्राप्त किया है;

(ख) मोबाइल युक्ति उपस्कर पहचान संख्या से -

(i) कोई विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान संख्या (आईएमईआई); या

(ii) कोई विशिष्ट इलैक्ट्रानिक क्रम संख्या (ईएसएन); या

(iii) कोई अन्य विशिष्ट संख्या या सिगनल-

अभिप्रेत है, जो एक विशिष्ट मोबाइल बेतार संचार युक्ति की पहचान करती है; या उक्त प्रयोजनों के लिए वैसे ही कृत्य और प्रयोजन हैं जैसे ऊपर विनिर्दिष्ट है।

3. **मोबाइल युक्ति उपस्कर पहचान संख्या में छेड़छाड़.**—विनिर्माता को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति -

(i) साशय मोबाइल युक्ति उपस्कर विशिष्ट पहचान संख्या को हटाता, मिटाता, परिवर्तन करता है या उसमें कोई फेरबदल करता है; या

(ii) यह जानते हुए कि उसे ऊपर विनिर्दिष्ट अनुसार समनुरूप बनाया गया है, साशय उपयोग करता है, उत्पादन करता है, दुर्व्यापार करता है, उसके हार्डवेयर या साफ्टवेयर को नियंत्रण या अभिरक्षा में रखता है या प्राप्त करता है, तो वह विधि विरूद्ध होगा।

[फा. सं. 19-37/2012/एस-II (पार्ट)]

अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2017

G.**S.R. 1068(E).—**In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub- section (2) of section 7 read with section 25 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government, hereby, make the following rules to prevent the tampering of Mobile Device Equipment Identification Number, namely:

1. Short title and Commencement——

(1) These rules may be called **the prevention of tampering of the Mobile Device Equipment Identification Number, Rules, 2017.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Manufacturer' means a person who has lawfully obtained the right to assign a Mobile Device Equipment Identification Number to a mobile device before the initial sale of the mobile device;

(b) Mobile Device Equipment Identification Number' means a unique –

(i) international mobile equipment identity number (IMEI); or

(ii) electronic serial number (ESN) ; or

(iii) any other number or signal –

that identifies a unique mobile wireless communication device; or for the purposes has the same function and purposes as specified above.

3. Tampering of Mobile Device Equipment Identification Number.—It shall be unlawful, if a person, except the manufacturer –

(i) intentionally removes, obliterates, change, or alter unique Mobile Device Equipment Identification Number; or

(ii) intentionally use, produce, traffic in, have control or custody of, or possess hardware or software, knowing it has been configured as specified above.

[F. No. 19-37/2012/S-II (Pt.)]

AMIT YADAV, Jt. Secy. (Admin.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.